

2026/232

निर्णय
22.4.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
मोटाराम बनाम जगदीश आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 170 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.04.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.04.2026 को पेश हो।	
17.4.2026	वकील वादी ने पार्वना - का मिक्कल पेश करके पर पत्रावली को पेश में लिए गिया कुल्लए फरिटेन उपरिपत्ता वारी जयसिकरी केपला 5 ने हाजिर हाकान्त आकर रावतसर पेश किया जिसे काउ लखीक 1 हाकिल फरिटेन पेश गिया पत्रावली वाले स्टेट प्रकाश हाकिल काउ लखीक 29.4.2026 को पेश हो।	मोटाराम प. 4 र्द वादी जगदीश जसेवना श्री. आ. पत्रावली
22.4.2026	कुल्लए फरिटेन उपरिपत्ता स्टेट प्रकाश आर हुक्म परस सुनी गरी पत्रावली का अवलोकन सिपागगा पत्रावली पर उपलक्ष रिकर्ड करके वकील जसे वकील के राजीनामा के आकर वाद की डि डी सिपा जाल है। पूर्ण निवण सहित निर्णय अलग से लिखाप जाकर हाकिल फरिटेन सिपा जसे पत्रावली नम्बर के काउ की आकर काउ लखीक नम्बरिल जाहा फरिटेन दफ्तर हो।	मैना ममतावती उनिवादी जज श्री. ल. 5 न पत्रावली 170 दिनेक 29.4.2026 की 28

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

